

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-309/16 श्र0सं0-

110

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भोजपुर(आरा) ।

पटना, दिनांक:-

28-11-16

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-
मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी
2230017890103) राज्य योजना स्कीम कोड-LAB-5234 के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2204 दिनांक-19.05.16 के आलोक में
चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च 2017 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना
अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू० 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से
उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	भोजपुर (आरा)	01	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	100000/- (एक लाख)	जिलाधिकारी, भोजपुर(आरा) के पत्रांक-623/वि० दिनांक-11.11.16 के आलोक में मृतक-स्व० [नाम] बिहार पासवान, आश्रित-फूलकुमारी देवी (माता), पत्रांक-10-गजराजगंज, थाना+प्रखंड- उदवन्तनगर जिला-भोजपुर (आरा) के आलोक में ।
कुल योग		01		100000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र ।

2. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
7. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

28/11/16
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

रा

ज्ञापांक-6/एफ1-309/16 श्र०सं०-

110

पटना, दिनांक

28-11-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

28/11/16

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 6/एफ1-309/16 श्र०सं०-

110

पटना, दिनांक

28-11-16

* स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/

*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी /संबंधित उप श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक /
आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं
प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-339 (श्रम पक्ष) दिनांक-18.11.16 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट
शाखा, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

28/11/16

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।